WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JULY 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- जीएसटी रिटर्न में भूल सुधार का मौका मिलेगा
- पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए भरना पड़ेगा 10आइईए फार्म
- आयकर में देर से किया रिफंड दावा लेना हुआ और आसान
- आरटीआर के लिए फॉर्म-3 जारी
- आयकर विभाग ने धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े नियमों में किया बदलाव
- क्रेडिट कार्ड से विदेश खर्च की बैंक को बतानी होगी वजह
- उधोगों के लिए जमीन लेने पर नहीं बतानी होगी जाति
- बंजर जमीनों का तैयार होगा डेटा बैंक
- छोटे उधमियों को पांच लाख का दुर्घटना बीमा
- शहरी क्षेत्रों में अब दो तरह के नए शुल्क
- दिन के समय अलग - अलग होगी बिजली की दर, 20 फीसदी तक कम आएगा बिल
- सौर ऊर्जा कनेक्शन लें सब्सिडी का लाभ उठाएं
- भूड़बराल में स्क्रैप सेंटर का निर्माण कार्य शुरू
- जीईएम पोर्टल से खरीदारी के भुगतान में देरी पर लगेगा ब्याज
- आसार: नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त
- आयात-निर्यात की लागत और घटाने की तैयारी
- विकसित देशों में मंदी से देश की हर पांचवीं एमएसएमई कंपनी प्रभावित
- आरबीआइ की राहत, डिफाल्टर्स को फिर से मिल सकेगा कर्ज
- पर्यावरण बचाकर बढ़ा सकेंगे आय
- **Stamp duty relief for women-led MSMEs; UP to facilitate loans of Rs 20k cr**
  Key cities in Uttar Pradesh set to get an artificial intelligence makeover
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!
- TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

कर में अनियमितता मिलने पर पोर्टल तुरंत नोटिस भेज देगा

जीएसटी रिटर्न में भूल सुधार का मौका मिलेगा

जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर आ रही अनियमितता को करदाता अब पोर्टल पर एक फॉर्म में समझ सकेंगे। अब तक विभाग नोटिस देता था जिसका जवाब करदाता लिखित में देता था। हाल में ऐसी सुविधा दी गई है, जिसमें जीएसटी आर- 1 और आर- 3 बी के टैक्स में अनियमितता आती है तो करदाता को तुरंत पोर्टल सिस्टम में नोटिस भेज दिया जाएगा। तकनीकी त्रुटि से कम टैक्स भरा गया तो एक अन्य फॉर्म भरकर बकाया टैक्स करदाता जमा करवा सकते है। साथ ही पहले अधिक टैक्स भर दिया हो, इस कारण अभी कम भरा है तो यह भी वहां उस में स्पष्ट किया जा सकता है। नोटिस भेजे जाने के सात दिन में यह फॉर्म भरकर जवाब देना होगा। जवाब न देने पर करदाता अगले महीने का रिटर्न नहीं भर सकेंगे। जवाब देने के तुरंत बाद रिटर्न भर सकेंगे।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का होगा इस्तेमाल

सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जोहरी के मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कई तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जीएसटी प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जीएसटी पंजीकरण पाने के लिए अन्य लोगों के पैन और आधार का दुरूपयोग करने वाले धोखेबाजी पर नकेल कसी जा सकेगी। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में और सख्ती पर भी विचार हो रहा है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए भरना पड़ेगा 10आइईए फार्म

अगर आप कारोबारी या प्रोफेशनल्स है और आयकर की पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना चाहते हैं तो अगले साल से आपको रिटर्न भरने से पहले 10 आईईए फार्म भी भरना होगा। आयकर विभाग की तरफ से हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन नौकरी करने वाले आयकरदाताओं के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स की नई व्यवस्था को बाइ डिफॉल्ट लागू करने की घोषणा की गई थी। मतलब अगले साल जब चालू वित्त वर्ष में की गई कमाई का रिटर्न भरने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो पुरानी टैक्स व्यवस्था की जगह टैक्स की नई व्यवस्था ही आपको दिखेगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से आईटीआर भरने के लिए विकल्प में जाकर उसे चुनना होगा। नौकरी वाले अपनी सुविधा के हिसाब से नई-पुरानी किसी भी व्यवस्था के तहत रिटर्न भर सकेंगे। चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता ने बताया कि सरकार टैक्स की नई व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है। कारोबारी व प्रोफेशनल्स को अगले साल से आईटीआर भरने के दौरान 10आईईए फार्म का ध्यान रखना होगा। एवं इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगले साल से रिटर्न भरने के लिए निर्धारित समय के बीत जाने पर रिटर्न भरने पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न नहीं भर पाएंगे। उन्हें नई टैक्स व्यवस्था को ही चुनना पड़ेगा। यह नियम सभी रिटर्न भरने वालों पर लागू होगा।

- कारोबारी या प्रोफेशनल्स पर लागू होगा यह नियम, आयकर विभाग ने हाल ही में जारी की है इससे जुडी अधिसूचना

आयकर में देर से किया रिफंड दावा लेना हुआ और आसान

कारोबारिओं- उधमियों को अपने रिफंड के दावे और कारोबारी नुकसान को अगले वर्ष के लाभ में समायोजन करना और आसान हो गया है। आयकर अधिकारियों के नए क्षेत्राधिकार घोषित कर दिए गए है। एक जून से लागू हुई व्यवस्था के मुताबिक, बड़े मामलों में रिफंड के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब तीन करोड़ रूपये तक के मामले

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के यहां से ही निस्तारित किए जा सकेंगे। पहले यह सीमा 50 लाख रूपये ही थी।

टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स में ज्यादा भुगतान या सेल्स असेसमेंट में ज्यादा टैक्स देने की स्थिति में रिफंड बनता है। उद्यमी और कारोबारी अपने नुकसान को अगले वर्ष के लाभ में समायोजित भी करते है। इसके लिए आवेदन करना होता है। अब तक 10 लाख रूपये तक रिफंड के मामले प्रधान आयकर आयुक्त, 50 लाख तक मुख्य आयकर आयुक्त और इसके ऊपर के सभी मामले सीबीडीटी के पास जाते थे। नई व्यवस्था में प्रधान आयकर आयुक्त को 50 लाख रूपये, मुख्य आयकर आयुक्त को 50 लाख से दो करोड़ रूपये और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को दो से तीन करोड़ रूपये तक के मामले सौंपे जाएंगे। तीन करोड़ से अधिक के मामलो का निस्तारण सीबीडीटी करेगा। रिफंड के लिए आवेदन अधिकतम छह वर्ष तक किया जा सकेगा। एक बार में एक ही वर्ष की राशि के लिए दावा माना जाएगा।

- रिफंड के मामलों का निस्तारण करने के लिए आयकर अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि, एक जून से लागू हो चुकी है नई व्यवस्था

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

आरटीआर के लिए फॉर्म-3 जारी

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन आईटीआर-3 फॉर्म जारी कर दिया है। आईटीआर-3 फॉर्म ऐसे आय करदाताओं के लिए, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे के मुनाफे या प्राप्ति से होती है। इन्हें तीन तरह से फाइल कर सकते है। पहला, डिजिटल सिग्नेचर के तहत इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकते है।

आयकर विभाग ने धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े नियमों में किया बदलाव

आयकर विभाग ने कर से छूट प्राप्त करने वाले धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े खुलासा नियमों में बदलाव किया है। बदलावों के तहत इन संस्थानों को यह जानकारी देनी होगी कि उनकी गतिविधियां केवल धर्मार्थ हैं, धार्मिक हैं या धार्मिक के साथ धर्मार्थ हैं। नए नियम एक अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, धर्मार्थ संस्थानों को ऐसे लोगों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी, जिनसे एक दिन में दो लाख रुपये से ज्यादा की राशि दान में मिली है। इसमें दान देने वाले का नाम, पता और पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो) की जानकारी देनी होगी।

क्रेडिट कार्ड से विदेश खर्च की बैंक को बतानी होगी वजह

आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस (स्त्रोत पर कर संग्रह) शुल्क लगाए जाने के मामले में कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रविधान करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए आरबीआई और अन्य पक्षकारों के साथ बातचीत भी कर रहा है। चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को देना है।

अगर विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है तो उस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा। हालांकि अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा।

विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रविधान लागू हो रहा है।

आयकर विभाग अलग-अलग मद में किए गए विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा। जुलाई से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया गया खर्च सात लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा। हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित व्यय होने पर यह शुल्क घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रुपये से अधिक राशि पर 0.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने पर दी जाएगी यह सुविधा

उधोगों के लिए जमीन लेने पर नहीं बतानी होगी जाति

राज्य सरकार यूपी में उद्योग लगाने वालों को जमीन लेने और भू-उपयोग बदलने में आने वाली दिक्कतों को समाप्त करते हुए बड़ी राहत देने जा रही है। उद्योगों के लिए साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने वालों को अब खातेदार, सहखातेदार और जाति का नाम नहीं बताना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है।

मात्र देने होगी पांच सूचनाएं: यूपी में उद्योग के लिए जमीन लेने में अभी कई बाधाएं हैं। आठ बिंदुओं पर जानकारी देने के बाद ही जमीन लेने की सुविधा है। इसमें जिला, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल हेक्टेयर, खातेदार की श्रेणी, जाति जिनसे भूमि लेना है और खातेदार का नाम और पता देना होता था।

दान वाली संपत्तियों में नहीं बताना होगा नाम

मौजूदा समय दान आदि की संपत्तियों को लेने के लिए लेनदार का नाम बताना जरूरी है। यह सुविधा देने की तैयारी है कि बिना नाम बताए ऐसी संपत्तियां ली जा सकें। इसमें उसे अर्जन की

रीति, विक्रय, दान आदि के साथ यह बताना होगा कि संबंधित जमीन का इस्तेमाल किस उपयोग में किया जाएगा। आवेदक को अपने नाम पते के साथ ही विस्तृत जानकारी देनी होगी, जिससे यह पता चल सके कि जमीन लेने वाला कौन है।

उद्यमियों को गैर जरूरी एनओसी नहीं लेनी होगी

उद्यमियों को सुविधा देने के लिए इसके साथ ही गैर जरूरी अनापत्तियां लेने की अनिवार्यता भी समाप्त की जा रही है, जिससे भू-उपयोग बदलने में अधिक समय न लगे। मौजूदा समय अधिकारियों के बंटवारा होने और अनापत्तियां लेने के चक्कर में भू-उपयोग बदलने में काफी समय लग रहा है। राजस्व विभाग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले इसे कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी कर रहा है।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

बंजर जमीनों का तैयार होगा डेटा बैंक

राज्य सरकार बंजर व परती जमीनों का डेटा बैंक नए सिरे से तैयार कराने जा रही है। इसका जिलेवार ब्योरा तैयार कराते हुए इसे ऑनलाइन किया जाएगा। इनका इस्तेमाल उधोग लगाने, सरकारी योजनाएं लाने और विकास कार्यों में किया जाएगा। अभी तक इन जमीनों का डेटा बैंक नहीं है। इसके चलते किस जिले में ऐसी कितनी जमीनें हैं, इसका पता नहीं चल पाता है।

कम पड़ रही जमीनें: योजनाएं लाना हो या फिर उधोग लगाने के लिए जरूरत भर जमीनें नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते खेती की जमीनें धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए शासन स्तर पर यह तय किया गया है कि प्रदेश भर में अभियान चलाकर बंजर और परती जमीनों को चिह्नित कराया जाए।

कैबिनेट के फैसले

छोटे उधमियों को पांच लाख का दुर्घटना बीमा

प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधोगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने और अपरिहार्य परिस्थिति में छोटे उधमियों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उधमी दुर्घटना बीमा योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत पंजीकृत उधमी की मृत्यु होने पर आश्रित को पांच लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी इतनी ही राशि मिलेगी। सरकार ने विधायकों की विकास निधि भी तीन करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट बैठक में एमएसएमई उधमियों को यह सौगात दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना में 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी उद्योग के उधमी आवेदन कर सकते है। वही छोटे उधमी लाभांन्वित होंगे, जो जीएसटी विभाग की ओर से संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद स्थायी दिव्यांगता पर मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। छोटे उधमी की दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ित परिवार की ओर से

बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी एक प्रति आवश्यक दस्तावेज के साथ उपायुक्त उधोग के यहां भी पेश करनी होगी। निदेशालय स्तर से निर्मित वारिस को बीमा की राशि एक महीने में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

85% एमएसएमई इकाइयां

प्रदेश में कुल स्थापित एमएसएमई इकाइयों के लगभग 15 फीसदी ही औपचारिक रूप से उधम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत है। 85 फीसदी इकाइयां अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। उधम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण बाध्यकारी नहीं होने की स्थिति में अधिकांश इकाइयों ने पंजीकरण नहीं कराया है, जिससे इन इकाइयों के आंकड़े औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

30 लाख को मिलेगा लाभ

एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई कार्यरत हैं। इनमे से उधम पोर्टल पर 15.50 लाख इकाइयां ही पंजीकृत है।

- प्रदेश में 30 लाख से अधिक सूक्ष्म उधमी ऐसे है जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रूपये से कम है। इन्हे पोर्टल पर पंजीकृत कर बीमा का लाभ दिया जाएगा

मेरठ खेल विवि के लिए 388 करोड़ मंजूर

हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले प्रख्यात खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में बन रहे प्रदेश के पहले खेल विश्वविधालय के निर्माण के लिए सरकार 388 करोड़ 53 लाख 75 हजार रूपये खर्च करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने प्रदेश में खेलों के विकास के साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविधालय स्थापित करने का निर्णय लिया था। विश्वविधालय में खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण के साथ ही स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, एम फिल और पीएचडी तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

शहरी क्षेत्रों में अब दो तरह के नए शुल्क

भू- उपयोग बदलने पर देना होगा नगरीय उपयोग प्रभार बेहतर अवस्थापना सुविधा से जुड़े क्षेत्रों में देना होगा विशेष सुख सुविधा शुल्क

प्रदेश सरकार अब शहरी क्षेत्र में दो तरह के नए शुल्क वसूलेगी । सरकार ने प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग बदलने की दशा में पुराने निर्माणों को नियमित करने के लिए जहां 'नगरीय उपयोग प्रभार' लेने का निर्णय लिया है, वहीं, शहरी क्षेत्र में बेहतर अवस्थापना सुविधा से जुड़े क्षेत्रों में स्थित जमीन पर नक्शा पास करते समय विशेष सुविधा शुल्क लिया जाएगा। ये दोनों शुल्क विकास प्राधिकरणों द्वारा लिया जाएगा । इसके लिए आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए 'उप्र नगर योजना और विकास अधिनियंम 1973 (संशोधन) अध्यादेश, 2023' को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

इस समय अमृत योजना से जुड़े प्रदेश के 59 शहरों के लिए जीआईएस आधारित महायोजना तैयार करने का काम हो रहा है । इसमें तमाम ऐसे निर्माण सामने आए हैं, जो भू-उपयोग के विपरीत बने हुए हैं । ऐसे निर्माणों की संख्या लाखों में है ।इसके अलावा सरकार ने शहरों में मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), स्टेडियम, रिवर फ्रंट डवलपमेंट, बड़ी मेगा परियोजनाएं बड़े पार्क जैसी विशेष सुविधाओं से आच्छादित क्षेत्रों में 'विशेष सुख सुविधा शुल्क ' वसूलने का फैसला किया है । यानि विशिष्ट सुविधा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित भूमि पर नक्शा पास कराने के समय यह शुल्क देना होगा ।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

बागपत में मेडिकल कॉलेज के लिए निविदा दस्तावेज अनुमोदित

प्रदेश में छह असेवित जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड़ पर मेडिकल कॉलेज बनाने काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्राइवेट पार्टनर चयन के लिए निविदा दस्तावेज को अनुमोदित कर दिया गया है। अनुमोदन हुई कैबिनेट बैठक में किया गया। मेडिकल कॉलेज बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा और हमीरपुर में खोले जाएंगे।

दिन के समय अलग-अलग होगी बिजली की दर, 20 फीसदी तक कम आएगा बिल

सरकार बिजली की दर तय करने के लिए 'दिन के समय (टीओडी) का नियम लागू करने वाली है। ऐसा होने पर देशभर के उपभोक्ता सौर घंटों यानी दिन के समय में बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिल में 20 फीसदी तक की बचत कर सकेंगे। टीओडी नियम के तहत दिन के विभिन्न समय के लिए बिजली की अलग-अलग दरें लागू होंगी। इसके लागू होने से पीक ऑवर में उपभोक्ता कपड़े धोने, खाना पकाने और बिजली खपत वाले अन्य कार्यों से परहेज कर सकेंगे।

नई व्यवस्था में उपभोक्ता ऐसा कार्य सामान्य कामकाजी घंटों में करते हुए अपना बिजली बिल कम कर सकेंगे। बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, टीओडी व्यवस्था से उपभोक्ताओं और बिजली प्रदाताओं को हर हाल में फायदा ही होगा।

बिजली मंत्रालय ने कहा, नई व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम-2020 में संशोधन कर मौजूदा बिजली शुल्क प्रणाली में दो बदलाव किए हैं। पहला...दिन के समय (टीओडी) शुल्क प्रणाली की शुरुआत। दूसरा...स्मार्ट मीटर प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने से जुड़ा है।

व्यवस्था अगले साल से लागू

- टीओडी व्यवस्था एक अप्रैल, 2024 से 10 किलोवॉट और उससे ज्यादा मांग वाले वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू हो जाएगी

- कृषि को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू होगा
- स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था तभी लागू होगी, जब वे इस तरह का मीटर लगवाएंगे

ऐसे तय होगी दर

मंत्रालय ने कहा, नई व्यवस्था के तहत सौर घंटों (राज्य बिजली नियामक आयोग की ओर से तय 8 घंटे) में बिजली की दर सामान्य दर से 10 से 20 फीसदी कम होगी

- बिजली के सर्वाधिक उपयोग के समय से दर 10-20% ज्यादा होगी

उपभोक्ताओं को मिलेंगे सिग्नल: टीओडी व्यवस्था के तहत पीक आवर्स, सौर घंटों और सामान्य घंटों के लिए अलग-अलग दर होगी। खास बात है कि दर के हिसाब से अपने बिजली लोड के प्रबंधन के लिए उपभोक्ताओं को सिग्नल मिलते रहेंगे

सौर ऊर्जा कनेक्शन लें सब्सिडी का लाभ उठाएं

एमडी पीवीवीएनएल चैत्रा वी. ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। घरेलू उपभोक्ताओं को उसका लाभ उठाना चाहिए। यह ऊर्जा प्रत्येक घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है।

उन्होंने बताया कि पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में डिस्कॉम ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमांचल में 2111 उपभोक्ताओं ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर दिए। इनमें से 1648 आवेदनों की फिजिबिलटी करने के साथ 372 सोलर रूफटॉप पैनल अब तक लगाए जा चुके हैं। बताया कि इस योजना में यूपीनेडा द्वारा स्टेट सब्सिडी और सेंट्रल सब्सिडी एमएनआरई द्वारा एमडी पीवीवीएनएल चैत्रा वी. ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सब्सिडी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बताया कि एक किलोवाट प्लांट पर 29,588 रूपये की सब्सिडी मिलेगी। दो किलोवाट प्लांट पर 59,176 रूपये की सब्सिडी तथा

पांच किलोवाट प्लांट पर 88,532 रूपये, दस किलोवाट प्लांट पर एक लाख 24 हजार 822 रूपये की सब्सिडी मिलेगी।

भूड़बराल में स्क्रैप सेंटर का निर्माण कार्य शुरू

जनपद में सड़कों पर दौड़ने की मियाद पूरी कर चुके वाहनों को जल्द ही कबाड़ में बदला जा सकेगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद भूड़बराल में स्क्रैप सेंटर का निर्माण दो एकड़ में आरंभ हो गया है। स्क्रैप सेंटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से वाहन स्वामी को नए वाहन की खरीद पर छूट भी मिलेगी। एनजीटी ने मेरठ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीज़ल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। वर्तमान में जनपद में 1.90 लाख वाहन ऐसे है जो उक्त श्रेणी के तहत आते है। इसके बावजूद वाहन सड़कों पर दौड़ रहे है। परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। मेरठ के अमर टेलीकम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन को स्क्रैप सेंटर के लिए मंजूरी दी गई है। भूड़बराल में सेंटर का निर्माण प्रगति पर है।

विदेश से आयात होंगी मशीने: सेंटर में जो वाहन स्क्रैप में तब्दील होने आएगा, उसमे री-यूज होने वाले पार्ट अलग कर दिए जाएंगे। लोहे का जो अवशेष होगा उसे कबाड़ में बदलने के लिए मशीनें विदेश से आयात होंगी। ये मशीनें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में बनती हैं। इनकी कीमत साढ़े तीन से चार करोड़ है। इसमें 12 - 13 मशीनें होती हैं, जिसमे मुख्य मशीन बेलर होती है जो वाहन की बाड़ी को दो मिनट में लोहे की चादर में बदल देगी।

STAG INTERNATIONAL
Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

जीईएम पोर्टल से खरीदारी के भुगतान में देरी पर लगेगा ब्याज

सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीदारी करने वाले सरकारी मंत्रालय और विभाग अगर भुगतान में देरी करते हैं तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। यह प्रविधान जुलाई के अंत से लागू हो जाएगा। बता दें कि वर्ष, 2020 में सरकार ने जीईएम पोर्टल पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भुगतान में देरी पर सरकारी विभागों और एजेंसियों पर एक प्रतिशत जुर्माना लगाने का फैसला किया था। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने नौ अगस्त, 2016 को इस पोर्टल को लॉच किया था। जीईएम के सीईओ पीके सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों से 10 से 15 दिन के अंदर भुगतान मिल जाता है, लेकिन राज्य सरकारें जो सामान खरीदती हैं, उसका भुगतान अक्सर देर से किया जाता है।

आसार: नए श्रम कानून लागू होने में अभी वक्त

भारत के रोजगार परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा पारित चारो श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन फ़िलहाल ठप पड़ा है। इन चार संहिताओं ने कुल मिलाकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का एक मिला- जुला संस्करण तैयार किया है। इनमें शामिल हैं वेतन संहिता, 2019, औधोगिक संबधं संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020, और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 इन चारों संहिताओं की समान रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई है। ये श्रम संहिताएं मोदी सरकार द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक है। मुक्त श्रम नीतियों की मांग करने वालो का कहना है कि ये संहिताएं विकास व रोजगार को बढ़ावा देंगी और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ पुराने कानूनों को समाप्त करेंगी। इनमें जो प्रमुख बदलाव किए हैं उनमें सरकार की मंजूरी बिना श्रमिकों को निकालना, यूनियन द्वारा हड़ताल की घोषणा, महिलाओं को रात की पाली में काम करने की इजाजत जैसे नियम शामिल हैं।

आयात-निर्यात की लागत और घटाने की तैयारी

केंद्र सरकार आने वाले दिनों में कस्टम विभाग में विदेश से आने और निर्यात के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाने वाले माल का तत्काल क्लीयरेंस कराने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है कि घंटे भर में ही क्लीयरेंस हो जाया करे। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं सुझावों की व्यावहारिकता जांचने के बाद नीति बनाकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। मौजूदा दौर में कारोबारियों की लागत में कस्टम में सामान फंसने की भी लागत जुड़ जाती है। इसके कम होने से न केवल देश में आयात कच्चा माल कुछ सस्ता हो जाएगा बल्कि निर्यात किया जाने वाला उत्पाद भी प्रतिस्पर्धा में खरा उतर सके। कारोबारियों के लिए कस्टम से सामान छुड़ाना बड़ी चुनौती होती है। इसमें न केवल पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, बल्कि समय भी बर्बाद होता है। वित्तमंत्रालय की तरफ से तैयार किए जा रहे कस्टम वन नाम से प्रस्ताव को आने वाले दिनों में पूरे देश में लागू करने की तैयारी हैं।

- कस्टम में सामान फंसने की लागत भी जुड़ जाती है
- घंटे भर में क्लीयरेंस देने के लिए बन रहा प्रोजेक्ट

विकसित देशों में मंदी से देश की हर पांचवीं एमएसएमई कंपनी प्रभावित

देश के निर्यात में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाले छोटे उद्यमों को अमेरिका एवं यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में मंदी के कारण प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ रहा है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी एवं यूरोपीय बाजारों की भारत के कुल निर्यात में एक तिहाई हिस्सेदारी है। इन देशों में आर्थिक सुस्ती से देश के हर पांचवें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इस अध्ययन में 69 क्षेत्रों और 147 कलस्टर में सक्रिय एमएसएमई को शामिल किया गया है। इनका कुल राजस्व 63 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष में देश की जीडीपी का करीब एक चौथाई है।

बढ़ानी पड़ सकती है कार्यशील पूंजी

क्रिसिल के निदेशक पुशान शर्मा ने कहा, निर्यात पर केंद्रित एमएसएमई इकाइयों खासकर सूरत एवं अहमदाबाद में रत्न एवं आभूषण, निर्माण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय छोटी कंपनियों को 20-25 दिनों के लिए कार्यशील पूंजी बढ़ानी पड़ सकती है।

आरबीआइ की राहत, डिफाल्टर्स को फिर से मिल सकेगा कर्ज

बैंक डिफाल्टर्स को आरबीआइ ने बड़ी राहत दी है। आरबीआइ ने कहा है कि यदि डिफाल्टर और बैंक में कर्ज को लेकर समझौता हो जाता है तो ऐसे डिफाल्टर को 12 महीने बाद फिर से लोन मिल सकेगा। हालांकि, इसके लिए बैंकों को अलग नीतियां बनानी होंगी बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी।

दरअसल, आरबीआइ ने फंसे कर्जो की ज्यादा से ज्यादा वसूली के लिए बैंकों को धोखाधड़ी करने वालों या जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालो के साथ समझौता करने छूट दी है। इसके तहत बैंकों को कर्जदारों के साथ-साथ तकनीकी राइट ऑफ (बटटा खाता) का निपटान समझौता करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होगी। इन नीतियों में बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। साथ ही निपटान समझौता और तकनीकी राइट आफ के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी।

अधिसूचना के अनुसार, निपटारा होने के बाद ऐसे कर्जदारों को बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त नीतियों के तहत फिर से कर्ज दिया जा सकेगा। हालांकि, यह कर्ज कम से कम 12 महीने बाद ही दिया जा सकेगा। बैंक बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर इस अवधि को बढ़ा भी सकते है। हालांकि, कृषि से जुड़े लोन के मामलों का निपटारा करने के लिए बैंक बोर्ड को अलग से नीतियां तैयार करनी होंगी।

- ज्यादा से ज्यादा वसूली के लिए आरबीआइ ने बैंकों को दी कर्ज नहीं चुकाने वालों के साथ समझौता करने की छूट

पर्यावरण बचाकर बढ़ा सकेंगे आय

पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी सतर्कता जेब के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गति देने के लिए बड़ी पहल की है। पर्यावरण मंत्रालय ने 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्रियान्वयन नियम 2023' का मसौदा जारी किया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। इस ग्रीन क्रेडिट को बेचना संभव होगा। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित होता है। इसका अहम उद्देश्य इस दिशा में एक बाजार आधारित व्यवस्था तैयार करना है। इससे व्यक्तिगत स्तर पर, एफपीओ, सहकारी संगठन, शहरी एवं ग्रामीण निकायों, प्राइवेट सेक्टर और उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छे प्रयासों के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में दो-तीन ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिनके बदले ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। धीरे-धीरे इसमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अधिकतम गतिविधियों को शामिल कर लिया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट को बेचना और खरीदना संभव होगा।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

ऐसे काम करती है ग्रीन क्रेडिट की व्यवस्था

1997 में क्योटो प्रोटोकाल के तहत ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा सामने आई थी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो कंपनियां हैं ए और बी। उनके काम के प्रकार एवं राष्ट्रीय स्तर पर तय व्यवस्था के तहत उन कंपनियों की पूरी प्रक्रिया में अधिकतम कार्बन उत्सर्जन की सीमा तय होती है। सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन पर उन्हें जुर्माना देना होगा। कंपनी ए पेड़ लगाने, ग्रीन टेक्नोलाजी एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग जैसे कदमों के माध्यम से उत्सर्जन स्तर को तय सीमा से कम कर लेती है। उसे इसके बदले ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। वहीं कंपनी बी ज्यादा उत्सर्जन करती है। उसके पास विकल्प होगा कि वह या तो जुर्माना भरे या कंपनी ए से ग्रीन क्रेडिट खरीद ले। भारत सरकार इसी व्यवस्था को मूर्तरूप देने का प्रयास कर रही है।

- केंद्र सरकार ने जारी किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्रियान्वयन नियम का मसौदा
- पर्यावरण हितैषी कदमों के लिए ग्रीन क्रेडिट देने की व्यवस्था बनाएगी सरकार
- हर व्यक्ति, संस्था, कंपनी एवं उद्योग को ग्रीन क्रेडिट पाने का मिलेगा मौका

Stamp duty relief for women-led MSMEs; UP to facilitate loans of Rs 20k cr

To promote small businesses and start-ups, especially helmed by women entrepreneurs, the Uttar Pradesh government has announced a slew of incentives, which include a waiver of stamp duty.

The business ventures set up by women in the comparatively backward regions of Purvanchal and Bundelkhand would get a 100 per cent stamp duty waiver, whereas the subsidy would be 75 per cent in other pockets. Such units would also be exempt from mandatory inspections for three years from inception, to allow these businesses to establish and proliferate without worrying about procedural complexities.

Meanwhile, the state is gearing up to facilitate bank loans totalling Rs. 20,000 crore to the micro, small, and medium Enterprises (MSMEs) on easy terms this week. “The Yogi Adityanath-government has launched a slew of schemes to promote the MSME sector and make them globally competitive,” UP MSME and khadi minister Rakesh Sachan said.

Moreover, nearly a dozen agricultural and traditional products are likely to be awarded the Geographical Indication (GI) certificate soon.

The GI tag certifies or authenticates the bona fide of a local product, thus fetching a better price for the original manufacturers.

The MSME sector has been accorded top priority for equitable socio economic growth, wealth distribution, and employment generation.

UP is home to the largest number of almost 9 million MSMEs and the sector is the second largest employment generator, after agriculture and allied activities. The sector contributes nearly 60 per cent to UP' annual industrial output. At the same time, the sector accounts for a bulk of the merchandise exports from the state. Now, the state government is targeting to increase merchandise exports to Rs. 3 trillion in the next 4-5 years.

To provide a fillip to the sector, the state has announced to facilitate the setting of manufacturing units on smaller land parcels of between 10 and 50 acres, as well as in flatted factory complexes.
At the UP Global Investors Summit (GIS) 2023, the state garnered total investment proposals to the tune of Rs. 35 trillion, of which the MSME sector accounted for almost Rs. 1.6 trillion spanning more than 9,000 projects. Since the state is now gearing up to launch projects of about Rs. 8 trillion in the next couple of months, the MSME department is finalising the line-up of projects.

DAS HYUNDAI
At Hyundai, We are going
Beyond Mobility
Das Building, Abulane, Meerut
Mob: 9557909977, 9557909988

Key cities in Uttar Pradesh set to get an artificial intelligence makeover

The proposed AI and IT sector development in these five cities is aimed at catalysing the journey of UP to become a trillion-dollar economy

The Uttar Pradesh government has rolled out its plan to develop major cities as Artificial Intelligence (AI) and Information Technology (IT) hubs.

The move follows Prime Minister Narendra Modi's clarion call from the US last month that there have been path-breaking advances in AI and that India and the US are leading the developments. The cities lined up for the AI- and IT-based makeover include Lucknow, Kanpur, Gautam Buddha Nagar (Noida), Varanasi, and Prayagraj (Allahabad).

Meanwhile, Lucknow has been positioned as India's first 'AI City' under the overarching blueprint to catalyse the five cities as future hubs of IT and IT Enabled Services (ITeS). UP Industrial Development Minister Nand Gopal Gupta 'Nandi' said technology and tech leadership would shape the future world and UP had taken a giant leap to be a major hub of AI, both nationally and globally.

"AI leadership means leadership of the world and our 'double engine' government is turbocharged to lead the tech revolution in the world," he told Business Standard.

The proposed AI and IT sector development in these five cities is aimed at catalysing the journey of UP to become a trillion-dollar economy.

Recently, officials briefed Chief Minister Yogi Adityanath about a detailed road map. The CM has tasked a high-level team headed by the chief secretary to take steps to immediately implement the proposal.

A 40-acre land near the Lucknow airport and flanking the Lucknow-Kanpur highway has been identified to lead the AI City landscaping. The Lucknow AI hub project will provide an entire value chain to investors and companies comprising AI start-ups, data centre, data analytics, AI-based training, and data forensics, etc.

UP has partnered leading entities, such as Indian Institute of Technology-Kanpur, Indian Institute of Management-Lucknow, and APJ Abdul Kalam Technical University, for a slew of knowledge-based initiatives and projects.

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

NOTIFICATION

No. 10/2023 – Central Tax

New Delhi, the 10th May, 2023

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2020 – Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 196(E), dated 21st March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of August, 2023, for the words "ten crore rupees", the words "five crore rupees" shall be substituted.

[F. No. CBIC- 20021/1/2023-GST]
(Alok Kumar)
Director

Note: The principal notification No. 13/2020 – Central Tax, dated the 21st March, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 196(E), dated the 21st March, 2020 and was last amended *vide* notification No. 17/2022-Central Tax, dated the 1st August, 2022, published *vide* number G.S.R. 612(E), dated the 1st August, 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXX